तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज
22-11-2021	पत्रावली पेश हुई रुक-रुक कर तीन बार आवाज दिलाई गई न अभिभाषक उपस्थित है और न ही पक्षकारान ऐसी स्थिति में न्यायालय इस पत्रावली को आगे जेरकार रखना उचित नहीं समझता है अतः पत्रावली अदम तजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 22-11-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश) न्यायिक मजिस्ट्रेट
द्वितीय श्रेणी, भीलवाड़ा
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner